समाहरणालय गोपालगंज

(जिला नजारत शाखा)

—: अल्पकालीन निविदा सूचनाः—

जिला अतिथि गृह (सर्किट हाउस) गोपालगंज के दोनों भवनों एवं कैम्पस का एक वर्ष के लिये आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालित करने हेतु इच्छुक संस्था/प्रतिष्ठान से दिनांक 24.09.2020 के अपराह्न 02:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन निविदा अपराह्न 04:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता स्वंय या उसके प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते है।

जिला अतिथि गृह को सूचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक शर्ते निम्नवत है :—

1. आंतरिक साफ—सफाई जिसके अन्तर्गत कुल 15 कमरों, जीम एवं पूरे परिसर का सफाई नियमित रूप से करनी होगी। सफाई हेतु सामग्रियों की आपूर्ति भी करनी होगी
2. जिला अतिथि गृह के लॉन, बगीचा आदि की सफाई एवं रख—रखाव, बगीचा में फूल एवं घास आदि का रख—रखाव करना।
3. हाउस कीपिंग से संबंधित निम्नलिखित कार्य शामिल होगें :—
   (क) जिला अतिथि गृह में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विद्युतीय उपकरणों (यथा पंखा,एसी0टी0भी0 गीजर आदि) का रख—रखाव करना।
   (ख) अतिथि गृह के फर्नीचर आदि की मरम्मति एवं रख—रखाव करना।
   (ग) अतिथि गृह में ठहरे हुए अतिथियों के लिए प्रसाधन की वस्तुएँ यथा साबुन, तेल, शैम्पु, तौलिया आदि की आपूर्ति करना।
   (घ) बेडशीट, मच्छरदानी, पर्दा, तकिया आदि की आपूर्ति एवं इनकी सफाई/धुलाई करना।
4. लगातार विद्युत की व्यवस्था (जेनरेटर सहित) करना ।
5. खानसामा, वेटर एवं सफाई कर्मियों के लिये ड्रेस की व्यवस्था करनी होगी।
6. अतिथियों के लिये चाय,नाश्ता एवं भोजन आदि की व्यवस्था निर्धारित दर पर करनी होगी तथा खानसामा,वेटर एवं सफाई कर्मियों को नियमित रूप से रखना होगा।
7. जिला प्रशासन की ओर से केयर टेकर प्रतिनियुक्त किया जायेगा, जो संचालन व्यवस्था की निगरानी करेगा।
8. अतिथि गृह कमरा का आरक्षण पूर्वत जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। किराये से प्राप्त राशि सरकारी खजानों मे जमा की जायेगी।
9. कोविड—19 के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

—: निविदा की शर्त :—

1. निविदा दो लिफाफा (तकनीकी एवं वित्तीय)प्रणाली प्रक्रिया में होगी। तकनीकी लिफाफा में संस्था/ प्रतिष्ठान का आयकर निबंधन, GST निंबधन एवं अद्यतन GST कर जमा करने का प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को अपने निविदा के साथ जमानत के रूप में जिला पदाधिकारी,गोपालगंज के पदनाम से गोपालगंज स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक पर भुगतेय 50,000.00(पचास हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो निविदा अस्वीकृत होने के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।
3. निविदा के साथ वित्तीय वर्ष—2019—20 में वार्षिक टर्न—ओवर कम से कम 50.00 लाख रूपये होने संबंधी प्रमाण के रूप में Audited Balance Sheet संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. निविदा के साथ कर निर्धारण वर्ष—2018—19 एवं 2019—20 का आयकर रिर्टन विवरणी संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. कैटरिंग/हाउसकिपिंग का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्था से आवश्यक होगा।
6. निविदादाता को E.S.I.एवं E.P.F निबंधन का प्रमाण—पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
7. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का एक शपथ पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही निर्धारित अवधि के अन्दर सामग्री आपूर्ति नहीं कर पाने अथवा निविदा के अन्य शर्तों का अनुपालन नहीं कर पाने की स्थिति में जमानत की राशि जप्त कर निविदादाता का नाम काली सूची में दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
8. वित्तीय लिफाफा में निविदादाताओं को सेवाएँ देने के एवज में मासिक राशि सभी कर सहित अंकित करना होगा।
9. निविदा सफल होने के उपरान्त संस्था को कोई अग्रिम देय नहीं होगा।
10. निविदा को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।